

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT, UTTAR PRADESH



7.1.1 Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during the last five years.

a. Safety and Security

Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut

a. Surveillance through CCTV Camera-

Girl's hostel has 24 x 7 safety and security to maintain discipline and to ensure students' safety on campus. They get inputs through CCTV surveillance across the campus. The university campus is gated and entry is regulated through verification of Identity cards. Presence of male and female security personnel, at all main entry/ exit gates and at strategic locations within the campus is ensured round the clock.





Surveillance through CCTV Camera in the girls hostels


Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut

Lady guards in girls Hostel:

15-20 female guards provide 24x7 safety and security to the girls in the respective girl's hostel.



Women Helpline No. is displayed in various places of the university campus.





HOSTEL ADMINISTRATORS



Prof. Sangeeta Shukla
Vice Chancellor



Prof. Bhupendra Singh
Dean Student Welfare



Prof. Rup Narayan
Chief Warden

NEWS & UPDATES

Hostel Brochure

C.C.S. UNIVERSITY HOSTEL ALLOCATION SYSTEM

Hostel accommodation cannot be claimed as a matter of right. The university has Eight hostels (Six for boys and two for girls), which provide excellent hostel accommodation for a limited number of bonafide full-time students of the university departments who pay the required fees regularly. While in the hostel, the students are responsible for the up keep of rooms, furnishing and fixtures. The university authorities may ask any inmate to vacate the hostel, if he/she is found indulged in any activity unbecoming of a student.

Admission to the hostels are made against the available vacant seats. Hostel seats are allotted by the Wardens of the hostels according to University Hostel Rules and U.P. Government reservation rules for SC/ST/OBC students.

GUIDANCE FOR STUDENTS

In order to regulate community living in the hostel, certain rules have been framed for guidance of the students, as given below.

1. The hostel will have to be vacated by the inmates during summer vacations for at least 15 days for repairs, etc. The dates will be notified by the wardens.
2. Under no circumstance a student will be allowed to stay in the hostel after prescribed time.
3. A hosteller will be given admission to a new course of study only after he/she vacates the room in his/her possession and produces before the admission committee a certificate to this effect issued by the warden.
4. The students studying for diploma and certificate courses in Russian language and other such courses will not be provided hostel accommodation.
5. M.Phil. students will vacate the hostel on completion of their project work.
6. Students are supposed to conduct themselves with extremely good manners in and outside the hostels. Payments of hostel fees and dues, proper use of hostel facilities, common rooms and regulation regarding hostel visiting hours are some of the important points to be strictly adhered to by the hostellers.

REGISTRATION LINKS

Hostel Registration
छात्रावास पंजीकरण

Applicant Login
आवेदक लॉगिन

Inst. Installment of Mess Fee

To get previous session Form Id. click here
पिछले वर्ष की फॉर्म संख्या प्राप्त करने हेतु यहां क्लिक करें

LIST OF HOSTELS

HOSTEL FOR GIRL'S

Durga Bhabhi Girls Hostel

Rani Lakshmi Bai Girls Hostel

HOSTEL FOR BOY'S

Dr. A. P. J. Abdul Kalam (Boys) Hostel

Dr. B.R. Ambedkar (Boys) Hostel

Dr. Kailash Prakash (Boys) Hostel

Dr. R.K. Singh (Boys) Hostel

Pt. Deen Dayal Upadhyay (Boys) Hostel

V.S. Maharana Pratap (Boys) Hostel

Portal regarding Hostel admission procedure and various other facilities for students enrolled in the Campus.

Girl's Hostels in the Campus



Visitor register

A visitor log register is kept in all the hostels to record the details of any person entering the hostel premise.



Female worker Staff in Hostel

Each girl hostel has only female sweepers. Hostel caretakers also live on the hostel grounds. Their attendance register is also maintained regularly.



Hostel Leave form facility

It is mandatory for all the students to fill hostel leave forms duly signed by the matrons. In some cases matrons contact their parents before granting them permission. There are strict entry times of all girls' hostels.

<u>LEAVE APPLICATION FORM</u>	
Name.....	Department/Course.....
Name of Hostel.....	Room No.....
Destination (Full Address with Phone No.).....	
.....	
..... Ph. No.....	
Purpose.....	
Time and Date of Departure.....	
Time and Date of Return.....	
Total No. of Days.....	
Permitted/ Not Permitted	
Signature of Warden/ Matron (Signature Of Resident) (Signature Of Guard)	
Date & Time Of Return (to be filled by Guard after arrival).....	
Signature Of Resident	
Signature Of Guard	

<u>LATE NIGHT REQUEST FORM</u>	
Name.....	Department/Course.....
Name of Hostel.....	Room No.....
Destination (Full Address with Phone no.).....	
.....	
Purpose.....	
Time and Date of Departure.....	
Time and Date of Return.....	
Total No. of Days.....	
Permitted/Not Permitted	
Signature of Warden/Matron	(Signature of Resident) (Signature of Guard)
Date & Time of Return (to be filled by Guard after arrival).....	
Signature of Resident	
Signature of Guard	

286
9/8/21

मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रकरण/अति महत्वपूर्ण
संख्या- 1978/सत्तर-3-2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 19 अगस्त, 2021

विषय- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-967/सत्तर/3-2021, दिनांक 21.08.2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के आदेशानुपालन में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के अनुसार समस्त शिक्षण संस्थानों में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु खेदजनक है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की कोई भी सूचना अभी तक शासन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अस्तु अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता देखते हुए संस्थानों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के अनुसार अन्तरिम समिति के गठन की सूचना शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उच्च शिक्षा अनुभाग-3 की ई-मेल आई०डी०-hesection.3@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या-1978 (1)सत्तर-3-2021 तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

**Letters regarding women's cell committee for
sexual harassment at workplace**

19-08-2021



Registrar
Dr. Charan Singh University
Meerut



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/३९३०

दिनांक : 26.08.2021

संशोधित-अधिसूचना

कृपया विश्वविद्यालय के कार्यालय पत्रांक-पी०ए०/३९३० दिनांक 24.08.2020 को कि विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1978/सतार-3-2021 दिनांक 19 अगस्त, 2021 जिसके द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 के अनुसार इसके दायरे में प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अन्तरिम शिकायत समिति का गठन करने को सम्बन्ध में अधिसूचना निर्गत की गयी है।

उक्त के क्रम में निर्गत अधिसूचना में दिनांक 24.08.2020 टंकण त्रुटिबद्ध अंकित हो गयी है। अतः कार्यालय के पत्रांक-पी०ए०/३९३० दिनांक 24.08.2020 को स्थान पर दिनांक 24.08.2021 यदा जाय।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति-कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक / अनुभाग अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. समिति के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
05. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
06. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता।
07. प्रभारी वेबसाइट


कुलसचिव

Letters regarding women's cell committee for sexual harassment at workplace
26-08-2021



Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut

Anti-Ragging Committee 2022-2023



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए० / 5701

दिनांक : 07.09.2022

अधिसूचना

विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2022-23 में राैगिंग रोकने तथा विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित समितियाँ एवं दस्तों का गठन किया है-

दस्ता नं०-1 (सोमवार)

क्र० स०	शिक्षक का नाम	पदनाम	ई० मेल	मोबाईल न०
01	प्र० आर० के० सोनी, रसायन विज्ञान विभाग	अध्यक्ष	rksoni_rks@yahoo.com	9412662444
02	प्र० अनिल कुमार मलिक, भौतिक विज्ञान विभाग	सदस्य	anilmalik@gmail.com, anilmalikitd@gmail.com	9654557573
03	प्र० शैलेन्द्र शर्मा, जैनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग	सदस्य	shgus6@gmail.com	9557719456
04	प्र० विकास शर्मा, अंग्रेजी विभाग	सदस्य	drvikas.27nov@gmail.com	9410454723
05	डॉ० सरू कुमारी, गणित विभाग	सदस्य	saryusirrohi@gmail.com	9457024729
06	डॉ० इश्वर सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य	www.ishwarsingh@gmail.com	9759669300
07	डॉ० विवेक त्यागी, विधि विभाग	सदस्य	vivektyagids@gmail.com	9837657064
08	डा० लक्ष्मी शंकर (एस०सी०आर०आई०टी)	सदस्य	shankar.laxmi@gmail.com	9808622540

दस्ता नं०-2 (मंगलवार)

क्र० स०	शिक्षक का नाम	पदनाम	ई० मेल	मोबाईल न०
01	प्र० दिनेश कुमार, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य	dineshccsu@gmail.com dk260544@gmail.com	9412745595
02	प्र० रावेन्द्र कुमार शर्मा, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य	ravendra_s@yahoo.com	9424358256
03	प्र० आलोक कुमार, समाजशास्त्र विभाग	सदस्य	aloksocio@gmail.com	9412357991
04	प्र० विघ्नेश त्यागी, इतिहास विभाग	सदस्य	vighneshkmr@gmail.com	9690099569
05	प्र० प्रशान्त कुमार, जनलिज्म एण्ड मॉस कम्युनिकेशन विभाग	सदस्य	prashantmsingh@gmail.com	9719002900
06	प्र० अल्पना अग्रवाल, मनोविज्ञान विभाग	सदस्य	sneh.jaswal@gmail.com	8146396208
07	डॉ० पवित्र देव, उद्योग विभाग	सदस्य	pavitrahort@gmail.com	9927174456
08	डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप, जैनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग	सदस्य	pratapbiotech@gmail.com	8972887254

दस्ता नं०-3 (बुधवार)

क्र० स०	शिक्षक का नाम	पदनाम	ई० मेल	मोबाईल न०
01	प्र० मुदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग	अध्यक्ष	mkgupta2002@hotmail.com	9412207236
02	प्र० जगदीर सिंह भारद्वाज, शिक्षा विभाग	सदस्य	bhardwajccsu@gmail.com	9412781934
03	प्र० स्नेहलता जसवाल, मनोविज्ञान विभाग	सदस्य	sneh.jaswal@gmail.com	8146396208
04	प्र० अनुज कुमार, भौतिक विज्ञान विभाग	सदस्य	dranujkumarccsu@gmail.com	9406975939
05	प्र० संजय कुमार, मनोविज्ञान विभाग	सदस्य	odomass@gmail.com	9358403296

Registrar
Ch. Charan Singh University
Meerut

Anti-Ragging Committee 2022-2023

			sanjaykumarccsum@gmail.com	
06	डॉ० साचिन कुमार, कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य	sachinkpsingh@gmail.com	9456830732
07	डॉ० अनिल यादव, भौतिक विज्ञान विभाग	सदस्य	anilsaciitb@gmail.com	9627330381
08	डॉ० सी०पी० सिंह, (एस०सी०आर०आई०टी)	सदस्य	c.ps.0051@gmail.com	9411818153

दस्ता नं०-4 (ब्रह्मस्पतिवार)

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	ई० मेल	मोबाईल न०
01	प्रो० हरे कृष्णा, सांख्यिकी विभाग	अध्यक्ष	hkrishnastats@yahoo.com	9897142947
02	प्रो० अतवीर सिंह, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य	atvirccsu@gmail.com	9837188111
03	प्रो० बिन्दू शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग	सदस्य	dr.bindusharmazoology@gmail.com bindu2502@rediffmail.com	9412663532 7983339533
04	डॉ० एस० के० दत्ता, विदेशी भाषा विभाग	सदस्य	duttask@mail.ru	9412782512
05	डा० योगेन्द्र कुमार गौतम, भौतिक विज्ञान विभाग	सदस्य	ykg.iitr@gmail.com	9410747882
06	डा० अनिल कुमार यादव, भौतिक विज्ञान विभाग	सदस्य	anilsaciitb@gmail.com	9627330381
07	डॉ० अर्चना त्रिवेदी, (एस०सी०आर०आई०टी)	सदस्य	drarchanaccsu@gmail.com	8433229717
08	डा० लक्ष्मण नागर, माइक्रोबैयोलॉजी विभाग	सदस्य	lifemaster2021@gmail.com	9808218408

दस्ता नं०-5 (धुक्रवार)

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	ई० मेल	मोबाईल न०
01	प्रो० जयमाला, गणित विभाग	अध्यक्ष	jaimalaccsu@gmail.com	9837991844
02	प्रो० एस० एस० गौरव, कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य	drshailendra1975@gmail.com	9412782201
03	प्रो० शिवराज सिंह, गणित विभाग	सदस्य	shivrajsingh@ccsuniversity.ac.in shivrajpundir@gmail.com	9897682738
04	प्रो० पवन कुमार शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग	सदस्य	pawansharmaccs67@gmail.com	8800383649
05	प्रो० रूप नारायण, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य	rupnarayan2001@gmail.com	9411863733
06	प्रो० राजेन्द्र कुमार शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग	सदस्य	rkpandey.du@gmail.com	9868084938
07	डॉ० राहुल कुमार, जैनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग	सदस्य	rahuldehran007@rediffmail.com	8894130717
08	इ० मिलिन्द कुमार, (एस०सी०आर०आई०टी)	सदस्य	milindccsu@yahoo.com	9410031124

दस्ता नं०-6 (षनिवार)

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	पदनाम	ई० मेल	मोबाईल न०
01	प्रो० संजय भारद्वाज, जन्तु विज्ञान विभाग	सदस्य	drskumar7@yahoo.com	9412209675
02	प्रो० आराधना, इतिहास विभाग	सदस्य	dr.aradhanaanu@gmail.com	9012557088
03	प्रो० नीलू जैन गुप्ता, जन्तु विज्ञान विभाग	सदस्य	drneelujgupta@hotmail.com	9873900878
04	प्रो० मुकेश शर्मा, गणित विभाग	सदस्य	drmukeshsharma@gmail.com	9412632166
05	डा० संजीव कुमार, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य	sanjeeveco@gmail.com	9953531181
06	डा० स्वाति शर्मा, एम०बी०ए० विभाग	सदस्य	drswati74123@gmail.com	9412785977
07	श्री राजकुमार, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस	सदस्य	drajkumarsinghccsu@gmail.com	9412707588




Anti-Ragging Committee 2022-2023

	स्टडीज विभाग		iii	
08	डा० राहुल शर्मा, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज विभाग	सदस्य	rahul.dr.sharma@gmail.com	9837280480

दस्ता नं०-7 (रविवार)

क्र० स०	शिक्षक का नाम	पदनाम	ई० मेल	मोबाईल न०
01	प्र० ए० के० चौबे, जन्तु विज्ञान विभाग	अध्यक्ष	akc.nema@gmail.com akchaubey@ccsu.ac.in	9412083781
02	प्र० असलम जमशेदपुरी, उर्दू विभाग	सदस्य	aslamjamsheepuri@gmail.com	9456259850
03	प्र० अजय विजय कौर, इतिहास विभाग	सदस्य	avkaurmeerut@gmail.com	9410230666
04	प्र० विजय मलिक, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य	gathwalajai@gmail.com	9411023129
05	प्र० संजीव कुमार शर्मा, भौतिक विज्ञान विभाग	सदस्य	sanjeevrs73@gmail.com	9599410630
06	प्र० रमाकान्त औझा, जन्तु विज्ञान विभाग	सदस्य	ramakant.algae@gmail.com	9436541335
07	डॉ० श्रद्धा पाल, विदेशी भाषा विभाग	सदस्य	sharddha.pal13@gmail.com	9457183375
08	डा० आशीश कौशिक, विधि विभाग	सदस्य	ashishkaushiknsiu@gmail.com	9458835435

माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार उपर्युक्त दस्ते दिए गए साप्ताहिक समय-सारिणी के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और साथ ही उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार शैक्षणिक दायित्वों का निर्धारण करेंगे, जिससे विभाग का शिक्षण कार्य प्रभावित न होने पाये।


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


1. प्रमुख सचिव, महानहिन कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मेरठ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
6. कमेटी के सदस्यों को सूचनार्थ।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. निदेशक, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद।
10. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
11. सचिव, कुलपति, माननीय कुलपति महोदया को सूचनार्थ।
12. वित्त नियंत्रक महोदय को सूचनार्थ।
13. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी प्रयत्नरत रहें कि रैगिंग की घटना उनके विभागों एवं विश्वविद्यालय परिसर में न होने पाये।
14. समस्त अधिकारीगण विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
15. मुख्य छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि छात्रावास में रैगिंग होने की सूचना पर उक्त दस्तों को सूचित करने का कष्ट करें।
16. समस्त छात्रावास अधीक्षकों को इस आशय से प्रेषित कि छात्रावास में रैगिंग की सूचना अथवा रैगिंग रोकने के लिये उक्त दस्तों से सम्पर्क करने का कष्ट करें।


कुलसचिव

Letter regarding Anti-Ragging Committee for transgender 31-05-2022

5

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut




पत्रांक : सम्बद्धता/956
दिनांक :- 31/5/2022

सेवा में,
01. सचिव/प्राचार्य, _____
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।


02. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषय:- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों की शिकायत निवारण प्रावधानों रैगिंग के विरुद्ध संरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के संलग्नक पत्र दिनांक 18.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 (2019 का 40 की धारा -22) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु जनपद के समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं में पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
उपरोक्त पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-
01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. सचिव प्रति कुलपति को मा0 प्रति कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
03. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

Letter regarding Anti-Ragging Committee for transgender 08-05-2022

06 माह के अन्दर पूर्ण किये जाने वाले कार्यों की चेकी में/समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।

पत्रांक 24/51/2022-23 /स0क0/उभयलिंगी/2022-23 दिनांक 18 मई 2022

1-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ। 2-संयुक्त निदेशक, आई0टी0आई0, जनपद मेरठ।

3-जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।

4-समस्त राजकीय, अनुदानित व मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान, जनपद मेरठ।

5-समस्त प्रशिक्षण संस्थान, जनपद मेरठ(द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ)

विषय- उभयलिंगी व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों की शिकायत निवारण प्रावधानों सहित रैगिंग के विरुद्ध संरक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सी-14/स0क0/टी0एस0यू0/2022-23 लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 (2019 का 40 की धारा-22), उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2020 के अन्तर्गत दिनांक 19-04-2022 को बोर्ड की बैठक में प्रदेश के स्कूलों और कालेजों में शिक्षकों और संकाय के सुग्राहीकरण के लिए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं-

- 1-समानता और लैंगिक विविधता के लिए सम्मान पैदा करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यचर्या में बदलाव।
- 2-स्वास्थ्य देखभाल सम्बन्धी पेशेवरों का सुग्राहीकरण।
- 3-मेडिकल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव।
- 4-कार्यस्थलों में सुग्राहीकरण कार्यक्रम।
- 5-सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी एक समिति होगी, जिस तक किसी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव के मामले में उभयलिंगी व्यक्तियों की पहुँच होगी। इस समिति के पास ऐसे अधिकार होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों सहित उभयलिंगी व्यक्तियों को परेशान करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति से उभयलिंगी छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

शासन स्तर से उक्त क्रम में जनपद के समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं में उक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 (2019 का 40 की धारा-22), उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2020 के अन्तर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों हेतु जनपद के समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थाओं में उक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वांछित सूचना निदेशालय को प्रेषित की जा सकें।

पृष्ठांक सं0 तद दिनांक जिलाधिकारी, मेरठ

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी, मेरठ।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।

जिलाधिकारी, मेरठ।

Transgender

Anti-Ragging Committee

2020-2021



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक: पी०ए०/

दिनांक:.....

अधिसूचना

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों/छात्राओं में रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उत्तर प्रदेश शासन, राजभवन लखनऊ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा रैगिंग को रोके जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित उच्च स्तरीय एन्टी रैगिंग कमेटी 2020-21 गठित की है-

1. प्रोफेसर एन० के० तनेजा, कुलपति
अध्यक्ष -
2. प्राफेसर वाई० विमला, प्रतिकुलपति
उपाध्यक्ष -
3. जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी
1. पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ रेंज - सदस्य
2. ए०डी०एम० (सिटी), मेरठ - सदस्य
3. पुलिस अधीक्षक (नगर)/ (ग्रामीण क्षेत्र), मेरठ - सदस्य
4. एन.जी.ओ. पदाधिकारी
1. श्रीमति अनिता राना, जनहित फाउन्डेशन, मेरठ मो० 9412706850 - सदस्य
2. डॉ० ओमकार गुप्ता, एन्टी करप्शन मूवमेंट, भारत मो० 9837356062 - सदस्य
5. मीडिया के प्रतिनिधि
1. श्री सचिन त्यागी, अमर उजाला, मेरठ मो० 9411194111 - सदस्य
2. श्री विवेक राव, दैनिक जागरण, मेरठ मो० 8791871388 - सदस्य
3. श्री विशाल भटनागर, दैनिक जनवाणी, मेरठ मो० 9808719275 - सदस्य
4. श्री प्रवीन दीक्षित, दैनिक हिन्दुस्तान, मेरठ मो० 9258021001 - सदस्य
5. श्री पीयूष राय, टाईम्स ऑफ इंडिया, मेरठ मो० 9036454771 - सदस्य
6. वरिष्ठ विद्यार्थी प्रतिनिधि
1. संजय कुमार, भौतिकी विभाग (एम० एस-सी० द्वितीय वर्ष) - सदस्य
2. रजत कौले, राजनीति विज्ञान विभाग (एम०ए० द्वितीय वर्ष) - सदस्य
3. कु० स्तुति, सांख्यिकी विभाग, (एम० एस-सी० द्वितीय वर्ष) - सदस्य
4. कु० आरूषी बैसोया, जन्तु विज्ञान विभाग (एम० एस-सी० द्वितीय वर्ष) - सदस्य

Anti-Ragging Committee 2020-2021

7. विश्वविद्यालय प्रशासन के पदाधिकारी

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. प्रो० भूपेन्द्र सिंह, छात्र कल्याण अधिष्ठाता | - | सदस्य |
| 2. प्रो० बीरपाल सिंह, कुलानुशासक | - | सदस्य |
| 3. प्रो० पी० के० शर्मा, चीफ वार्डन | - | सदस्य |
| 4. समस्त संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष | - | सदस्य |
| 5. कुलसचिव | - | सदस्य |
| 6. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ | | |

उपरोक्त उच्च स्तरीय कमेटी सत्र 2020-21 में रैगिंग को रोकने के लिए आन्तरिक एन्टी रैगिंग कमेटी तथा एन्टी रैगिंग दस्तों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करेगी और आवश्यक दिशा निर्देश देगी।

(कुलसचिव)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मेरठ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
5. कमेटी के सदस्यों को सूचनार्थ।
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
7. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद।
9. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
10. सचिव कुलपति, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
11. सचिव प्रति कुलपति, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
12. वित्त अधिकारी, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
13. समस्त विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी, विश्वविद्यालय परिसर।

(कुलसचिव)

कुलपति महोदय,

उक्त प्रस्तावित एन्टी रैगिंग कमेटी
(सत्र : 2020-21) का अवलोकन कर
न करने का कठक करें। साथ ही इसमें
सुधार जारी करें हेतु कुलसचिव महोदय
नदिशित करने की कृपा करें।


22/02/2021
CHIEF PROCTOR
C.C.S. UNIVERSITY
MEERUT 250 005


27.02.21

Approval of members of Anti-Ragging Committee by Chief proctor 2020-2021



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक: पी०ए०/

दिनांक: 22/02/2021

अधिसूचना

विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2020-21 में रैगिंग रोकने तथा विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये नीय कुलपति जी ने निम्नलिखित समितियों एवं दस्तों का गठन किया है-

II नं०-1 (सोमवार)

1. प्रो० आर० के० सोनी, रसायन विज्ञान विभाग	-	अध्यक्ष
2. प्रो० अनिल कुमार मलिक, भौतिक विज्ञान विभाग	-	सदस्य
3. प्रो० शैलेन्द्र शर्मा, जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग	-	सदस्य
4. प्रो० विकास शर्मा, अंग्रेजी विभाग	-	सदस्य
5. डॉ० सरू कुमारी, गणित विभाग	-	सदस्य
6. डॉ० ईश्वर सिंह, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
7. डॉ० विवेक त्यागी, विधि विभाग	-	सदस्य
8. डा० लक्ष्मी शंकर (एस०सी०आर०आई०टी०)	-	सदस्य

II नं०-2 (मंगलवार)

1. प्रो० राकेश गुप्ता, सांख्यिकी विभाग	-	अध्यक्ष
2. प्रो० दिनेश कुमार, अर्थशास्त्र विभाग	-	सदस्य
3. प्रो० आलोक कुमार, समाजशास्त्र विभाग	-	सदस्य
4. प्रो० विघनेश त्यागी, इतिहास विभाग	-	सदस्य
5. डॉ० अल्पना अग्रवाल, मनोविज्ञान विभाग	-	सदस्य
6. डॉ० पवित्र देव, उद्यान विभाग	-	सदस्य
7. डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप, जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग	-	सदस्य
8. डा० मनोज श्रीवास्तव, जर्नलिज्म एण्ड मॉस कम्यूनिकेशन विभाग	-	सदस्य

II नं०-3 (बुधवार)

1. प्रो० मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग	-	अध्यक्ष
2. प्रो० जगवीर सिंह भारद्वाज, शिक्षा विभाग	-	सदस्य
3. प्रो० स्नेहलता जायसवाल, मनोविज्ञान विभाग	-	सदस्य
4. डॉ० संजय कुमार, मनोविज्ञान विभाग	-	सदस्य
5. डॉ० सचिन, कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
6. डॉ० अनिल यादव, भौतिक विज्ञान विभाग	-	सदस्य
7. डॉ० अनुज कुमार, भौतिक विज्ञान विभाग	-	सदस्य
8. डॉ० सी०पी० सिंह, (एस०सी०आर०आई०टी०)	-	सदस्य

II नं०-4 (बृहस्पतिवार)

1. प्रो० हरे कृष्णा, सांख्यिकी विभाग	-	अध्यक्ष
2. प्रो० अतवीर सिंह, अर्थशास्त्र विभाग	-	सदस्य
3. प्रो० पी० के० मिश्रा, शिक्षा विभाग	-	सदस्य
4. प्रो० बिन्दू शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग	-	सदस्य
5. डॉ० एस० के० दत्ता, विदेशी भाषा विभाग	-	सदस्य
6. डा० योगेन्द्र कुमार गौतम, भौतिक विज्ञान विभाग	-	सदस्य
7. डा० अनिल कुमार यादव, भौतिक विज्ञान विभाग	-	सदस्य
8. डॉ० अर्चना त्रिवेदी, (एस०सी०आर०आई०टी०)	-	सदस्य

[Handwritten Signature]

Approval of members of Anti-Ragging Committee by Chief proctor 2020-2021

II नं०-5 (शुक्रवार)

1. प्रो० जयमाला, गणित विभाग	-	अध्यक्ष
2. प्रो० एस० एस० गौरव, कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
3. प्रो० शिवराज सिंह, गणित विभाग	-	सदस्य
4. प्रो० पवन कुमार शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
5. प्रो० रूप नारायण, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
6. डॉ० राजेन्द्र कुमार शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
7. डॉ० राहुल कुमार, जैनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग	-	सदस्य
8. डॉ० मिलिन्द कुमार, (एस०सी०आर०आई०टी०)	-	सदस्य

II नं०-6 (शनिवार)

1. प्रो० पी० के० शर्मा, कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग	-	अध्यक्ष
2. प्रो० संजय भारद्वाज, जन्तु विज्ञान विभाग	-	सदस्य
3. प्रो० आराधना, इतिहास विभाग	-	सदस्य
4. प्रो० प्रतिभा त्यागी, अंग्रेजी विभाग	-	सदस्य
5. प्रो० नीलू जैन, जन्तु विज्ञान विभाग	-	सदस्य
6. डॉ० राकेश शर्मा, शिक्षाशास्त्र विभाग	-	सदस्य
7. डॉ० मुकेश शर्मा, गणित विभाग	-	सदस्य
8. श्री राजकुमार, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज विभाग	-	सदस्य

II नं०-7 (रविवार)

1. प्रो० ए० के० चौबे, जन्तु विज्ञान विभाग	-	अध्यक्ष
2. प्रो० असलम जमशेदपुरी, उर्दू विभाग	-	सदस्य
3. प्रो० अजय विजय कौर, इतिहास विभाग	-	सदस्य
4. प्रो० विजय मलिक, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
5. डॉ० संजीव कुमार शर्मा, भौतिक विज्ञान विभाग	-	सदस्य
6. डॉ० रमा कान्त औझा, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
7. डॉ० श्रद्धा पाल, विदेशी भाषा विभाग	-	सदस्य
8. श्री अजय शुक्ला, माइक्रोबायोलोजी विभाग	-	सदस्य

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कि उपर्युक्त दस्ते दिए गए साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार अपने दायित्वों का हन करेंगे और इसी कार्यक्रम के संदर्भ में अपने विभाग के शैक्षणिक कार्यक्रम निर्धारित करेंगे जिससे विभाग का शिक्षण प्रभावित न होने पाये।

(कुलसचिव)

लिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मेरठ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
6. कमेटी के सदस्यों को सूचनार्थ।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. निदेशक, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद।
10. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
11. सचिव, कुलपति जी।
12. सचिव, प्रति कुलपति जी।
13. वित्त नियंत्रक।
14. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर पर प्रयत्नरत रहें कि रैगिंग की घटना उनके विभागों एवं विश्वविद्यालय परिसर में न होने पाये।
15. समस्त अधिकारीगण विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।
16. मुख्य छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि छात्रावास में रैगिंग होने की सूचना पर उक्त दस्तों को सूचित करने का कष्ट करें।
17. समस्त छात्रावास अधीक्षकों को इस आशय से प्रेषित कि छात्रावास में रैगिंग की सूचना अथवा रैगिंग से कने 250 005 लिये उक्त दस्तों से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

मा० कुलपति महोदय,
कृपया शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु
दिवसवार एन्टी रैगिंग दस्तों का आवेदन
करने का कष्ट करें। प्रस्तावित एन्टी रैगिंग
दस्तों का अनुमोदन करने की कृपा करें।
साथ ही उपरोक्त की सूचना जारी करने हेतु
कुलसचिव महोदय को निर्दिष्ट करने की कृपा करें।

Regent
for acting
'A' above,
25/02/21

(कुलसचिव)
25/02/21

CCS UNIVERSITY

Anti-Ragging Committee

02-09-2019



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/1918

दिनांक : 02.09.2019

अधिसूचना

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय कुलानुशासक मण्डल की व्यवस्था को सुदृढ़ तथा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से अनुशासन बनाने हेतु परिसर के विभिन्न विभागों में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षकों को सहायक कुलानुशासक के रूप में कुलानुशासक मण्डल में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।


(अ) शिक्षक नियमित विभाग :-

1. प्रो0 रविन्द्र कुमार, अंग्रेजी विभाग।
2. डॉ0 अशोक कुमार, वनस्पति विज्ञान विभाग।
3. डॉ0 दुष्यन्त कुमार चौहान, जन्तु विज्ञान विभाग।
4. डॉ0 यशवेन्द्र वर्मा, विष विज्ञान विभाग।
5. डॉ0 प्रदीप चौधरी, सांख्यिकी विभाग।
6. डॉ0 सरू कुमारी, गणित विभाग।
7. डॉ0 सचिन कुमार, जैनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रिडिंग विभाग।
8. डॉ0 धर्मेन्द्र प्रताप, जैनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रिडिंग विभाग।
9. डॉ0 नाजिया तरन्नुम, रसायन विज्ञान विभाग।
10. डॉ0 योगेन्द्र कुमार गौतम, भौतिक विज्ञान विभाग।

(ब) शिक्षक, स्वःवित पोषित संस्थान/विभाग:-

11. डॉ0 स्वाति सिंह, बी0टैक0 एप्लाइड सॉईस विभाग, सर छोटू राम इन्जी0 एवं तकनीकी संस्थान।
12. ई0 प्रवीण कुमार बी0टैक0 (आई0टी0) विभाग, सर छोटू राम इन्जी0 एवं तकनीकी संस्थान।
13. डॉ0 विवेक कुमार, विधि अध्ययन विभाग।
14. श्री मनी गर्ग, एम0बी0ए0 (एच0ए0) स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज।
15. डॉ0 स्वाति शर्मा, एम0बी0ए0, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज।

उपरोक्त सभी कुलानुशासक मण्डल को विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय एवं अन्य भत्ते देने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।


कुलसचिव

List of Meetings held by Anti-Ragging Committee in the 2019-2020 session



कुलानुशासक कार्यालय चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

शैक्षिक सत्र 2019-20 में गठित कुलानुशासक मण्डल की सूची

क्र०सं०	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	ई०मेल
1	प्रो० बीरपाल सिंह	मुख्य कुलानुशासक	9358478150	drbeerpal@gmail.com
2	प्रो० रविन्द्र कुमार	सहायक कुलानुशासक	9411904922	Kumar_ravindra8@yahoo.co.in
3	डा० अशोक कुमार	सहायक कुलानुशासक	9411984873	drashokbotany@gmail.com
4	डॉ० दुष्यन्त सिंह चौहान	सहायक कुलानुशासक	9412708983	drdushyant.Zoology@gmail.com
5	डॉ० यशवेन्द्र वर्मा	सहायक कुलानुशासक	9837384661	yeshvandra@gmail.com
6	डॉ० सरू कुमारी	सहायक कुलानुशासक	9457024729	saryusirrohi@gmail.com
7	डॉ० प्रदीप चौधरी	सहायक कुलानुशासक	8171084281	pc25jan@gmail.com
8	डॉ० धर्मेन्द्र प्रताप	सहायक कुलानुशासक	8972887254	pratapbiotech@gmail.com
9	डॉ० नाजिया तरन्नुम	सहायक कुलानुशासक	9760675360	Naz1012@gmail.com
10	डॉ० सचिन कुमार	सहायक कुलानुशासक	9456830732	sachinkpsingh@gmail.com
11	डा० योगेन्द्र कुमार गौतम	सहायक कुलानुशासक	9410747882 9149324785	ykg.iitr@gmail.com

स्व:वित्त पोषित संस्थान/विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ में कार्यरत निम्न शिक्षकगणों को कुलानुशासक मण्डल में सम्मिलित किया गया :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या	ई०मेल
1	डॉ० स्वाति सिंह	सहायक कुलानुशासक	9412629612	swatijanmajay@yahoo.com
2	इन्जीनियर प्रवीन कुमार	सहायक कुलानुशासक	9719340340 9675340340	pravinpanwar.ccs@gmail.com
3	डा० विवेक कुमार	सहायक कुलानुशासक	9837657064	vivektyagidls@gmail.com
4	श्री मनी गर्ग	सहायक कुलानुशासक	9760431317	mani.g.27@gmail.com
5	डा० स्वाति शर्मा	सहायक कुलानुशासक	9412785977	drswati74123@gmail.com

Anti-Ragging Committee

22-02-2019

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

पत्रांक पी०१०/१९२९
दिनांक 22-2-2019

अधिसूचना

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न कक्षाओं व छात्रों/छात्राओं में रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में स्थानीय उच्चाध्यक्ष न्यायालय, उत्तर प्रदेश शासन राजभवन लखनऊ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा रैगिंग को रोकने वाले हेतु दिने गये निर्देशों के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित उच्च स्तरीय एन्टी रैगिंग समिती-2019-20 गठित की है-

प्रोफेसर एन० के० एनेजा, कुलपति	-	अध्यक्ष
प्रोफेसर साई० दिगल, प्रतिकुलपति	-	उपाध्यक्ष
जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के मदाधिकारी		
1. पुलिस उपन्यायाधीश, मेरठ रेंज	-	सदस्य
2. एस०डी०एस० (सिटी), मेरठ	-	सदस्य
3. पुलिस अधीक्षक (नगर)/ (प्राचीन क्षेत्र), मेरठ	-	सदस्य
एन०जी०ओ. मदाधिकारी		
1. श्रीमती अनिता राना, जगहिल फाउन्डेशन, मेरठ नो० 9412706899	-	सदस्य
2. डॉ० ओमकार गुप्त, एन्टी क्लरान्स मूवमेंट, भारत मो० 9837356062	-	सदस्य
मीडिया के प्रतिनिधि		
1. श्री स्वयंभू ल्यागी, अनर उजाला, मेरठ मो० 9411194111	-	सदस्य
2. श्री विवेक राव, दैनिक जागरण, मेरठ मो० 9791871385	-	सदस्य
3. श्री विशाल भटनगर, टाईम्स ऑफ इंडिया, मेरठ मो० 9808710275	-	सदस्य
4. श्री प्रवीण दीक्षित, दैनिक हिन्दुस्तान, मेरठ मो० 9255021001	-	सदस्य
5. श्री पीयूष राव, टाईम्स ऑफ इंडिया, मेरठ मो० 9036454771	-	सदस्य
रिश्त विद्यार्थी प्रतिनिधि		
डॉ० अर्चना सिंह, भौतिकी विभाग (एम० एस-सी० द्वितीय वर्ष)	-	सदस्य
डॉ० सक्षम तेषतिया, राजनीति विज्ञान विभाग (एम०एस० द्वितीय वर्ष)	-	सदस्य
श्री सफल शर्मा, सांख्यिकी विभाग (एम० एस-सी० द्वितीय वर्ष)	-	सदस्य
डॉ० पल्लवी सिंह, जन्तु विज्ञान विभाग (एम० एस-सी० द्वितीय वर्ष)	-	सदस्य


Anti-Ragging Committee

22-02-2019

7. विश्वविद्यालय प्रशासन के पदाधिकारी


- | | | |
|---|---|-------|
| 1. श्री. जितेन्द्र कुमार यादव प्राच्य संस्कृत अधिष्ठाता | - | सदस्य |
| 2. श्री. बीरगार सिंह, कुलपति | - | सदस्य |
| 3. श्री. पी. के. शर्मा, पीएच. आर. ऑफिस | - | सदस्य |
| 4. सामन्त विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष | - | सदस्य |
| 5. कुलसचिव | - | सदस्य |
| 6. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ | - | सदस्य |

उपरोक्त उच्च स्तरीय समेती सत्र 2018-20 में रेगिंग को रोकने के लिए आन्तरिक एन्टी रेगिंग कमेटी एवं एन्टी रेगिंग कर्ता के कार्य की समीक्षा-सजाय पर समीक्षा करेगी और आवश्यक दिशा निर्देश देगी।


(कुलसचिव)

शिक्षण निम्नलिखित को सुपरवाइज एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुल सचिव, महाभारत कुलाधिपति, संस्कृत संस्थान।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. शिक्षाधिकारी, मेरठ।
4. उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
5. कमेटी के सदस्यों को सूचनाएँ।
6. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, नई दिल्ली।
7. उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
9. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
10. उच्च शिक्षा अधिकारी, श्री. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
11. उच्च शिक्षा अधिकारी, श्री. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
12. उच्च शिक्षा अधिकारी, श्री. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
13. सामन्त विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी, विश्वविद्यालय परिवार।


(कुलसचिव)

Student's Disciplinary committee
30/10/2018



कुलानुशासक कार्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कुला०/
दिनांक: 30/10/18

सेवा में,

माननीय कुलपति महोदय,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

महोदय,

विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के मध्य समय-समय पर घटित होने वाली अनुशासनहीनता की घटनाओं पर समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिये जाने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों की एक अनुशासन समिति गठित करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

अनुशासन समिति :

- | | |
|--|-----------|
| 01. छात्र कल्याण अधिष्ठाता | (अध्यक्ष) |
| 02. कुलानुशासक | (संयोजक) |
| 03. समस्त कुलानुशासक मण्डल | (सदस्य) |
| 04. मुख्य छात्रावास अधीक्षक (छात्रावास संबंधित घटना होने पर) | (सदस्य) |
| 05. संबंधित छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका (छात्रावास संबंधित घटना होने पर) | (सदस्य) |
| 06. संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक/संस्थान निदेशक | (सदस्य) |


(कुलानुशासक) 30/10/18
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा० कुलपति महोदय
30/10/18

Anti-Ragging committee 04-08-2018



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

संख्या: पी०ए०/१०१६
दिनांक: ०५-०८-२०१८

अधिसूचना

विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों/छात्राओं में राइडिंग रोकने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, उत्तर प्रदेश हाइकोर्ट, राजभवन लखनऊ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सत्र २०१८-१९ के लिये राइडिंग को रोकने जाने हेतु विद्ये गये निर्देशों के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित उच्च स्तरीय एन्टी राइडिंग कमेटी २०१८-१९ गठित की है-

- | | |
|---|-------------|
| १. प्राफेसर एम० के० तानेजा, कुलपति | - अध्यक्ष |
| २. प्राफेसर एम० एस० सिंह, प्रतिकुलपति | - उपाध्यक्ष |
| ३. जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी | |
| १. पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ डेज | - सदस्य |
| २. एस०डी०एम० (सिटी), मेरठ | - सदस्य |
| ३. पुलिस अधीक्षक (नगर)/[सामान्य क्षेत्र], मेरठ | - सदस्य |
| ४. एन.जी.ओ. पदाधिकारी | |
| १. श्रीमति अमिता राणा, जनहित काउन्सिल, मेरठ मो० ९४१२७०६८६० | - सदस्य |
| २. डॉ० ब्रह्मकार-मुस्त, एन्टी कॉरप्शन मूवमेंट, भारत मो० ९८३७३५६०६२ | - सदस्य |
| ५. मीडिया के प्रतिनिधि | |
| १. श्री सचिन श्यामी, अमर उजाला, मेरठ मो० ९४१११९४१११ | - सदस्य |
| २. श्री विवेक कुमार, दैनिक जागरण, मेरठ मो० ९७९१८७१३८८ | - सदस्य |
| ३. श्री ज्ञान प्रकाश, दैनिक जनवाणी, मेरठ मो० ९९५४८०००३० | - सदस्य |
| ४. श्री प्रवीण दीक्षित, दैनिक हिन्दुस्तान, मेरठ मो० ९२५८०२१००१ | - सदस्य |
| ६. वरिष्ठ विद्यार्थी प्रतिनिधि | |
| १. श्री कमल कुमार, भौतिकी विभाग (एम० एस-सी० द्वितीय वर्ष) | - सदस्य |
| २. कु० वर्षा, अंग्रेजी विभाग (एम०एस० द्वितीय वर्ष) | - सदस्य |
| ३. श्री अमित सिंह नायाल, सांख्यिकी विभाग, (एम० एस-सी० द्वितीय वर्ष) | - सदस्य |
| ४. कु० मारिका जयन्त, जन्तु विज्ञान विभाग (एम० एस-सी० द्वितीय वर्ष) | - सदस्य |

०/८
१६.८-१८

Anti-Ragging committee 04-08-2018

7. विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रदायिकाएँ

- | | |
|--|---------|
| 1. प्रो० बार्द० विमला चरण कल्याण अधिष्ठाता | - सदस्य |
| 2. प्रो० बृजेश सिंह कुलपति | - सदस्य |
| 3. प्रो० पी० के० राजा, चीफ काउंसिलर | - सदस्य |
| 4. समस्त संसाधन एवं विभागाध्यक्ष | - सदस्य |
| कुलसचिव | - सदस्य |

15-8-18

कुलसचिव

द्वितीय उच्च शैक्षणिक समिती सत्र 2018-19 में रैगिंग को रोकने के लिए आन्तरिक एन्टी रैगिंग समिती तथा एन्टी रैगिंग दलों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करेगी और आवश्यक दिशा निर्देश देगी।

(कुलसचिव)

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलसचिव, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मेरठ।
4. सचिव पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
5. समिती के सदस्यों को सूचनार्थ।
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
7. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद।
9. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
10. सचिव कुलपति, श्री० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
11. सचिव श्री कुलपति, श्री० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
12. जिला अधिकारी, श्री० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
13. समस्त विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी, विश्वविद्यालय परिसर।

[Signature]

Am

15-8-18

[Signature]
(कुलसचिव)